

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी


पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 89/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गीगाराम पुत्र सालूराम		1. अनोपसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. तगाराम पुत्र सालूराम		2. सांगसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. देवाराम पुत्र नारणाराम		3. दीपसिंह पुत्र जुझारसिंह
4. दिनेशसिंह पुत्र नाथुसिंह		4. मदनसिंह पुत्र जुझारसिंह
5. भवानीसिंह पुत्र नाथुसिंह		5. संग्रामसिंह पुत्र जुझारसिंह
6. लीलाकंवर पत्नी नाथुसिंह जाति वजीर निवासी भाटियों का डेर सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		6. राणसिंह पुत्र जालमसिंह
		7. वीरसिंह पुत्र जालमसिंह
		8. कम्बलसिंह पुत्र धनसिंह
		9. मोहनसिंह पुत्र धनसिंह
		10. रामसिंह पुत्र धनसिंह
		11. सुजानसिंह पुत्र धनसिंह
		12. गजेसिंह पुत्र मंगलसिंह
		13. रतनसिंह पुत्र मंगलसिंह
		14. सगतसिंह पुत्र मंगलसिंह
		15. पेम्पसिंह पुत्र जीवराजसिंह
		16. वागसिंह पुत्र जीवराजसिंह
		17. बलवंतसिंह पुत्र हीरसिंह
		18. मानसिंह पुत्र हीरसिंह
		19. सांगसिंह दतकपुत्र प्रतापसिंह
		20. खुमानसिंह पुत्र भूरसिंह
		21. नगसिंह पुत्र भूरसिंह
		22. रूपसिंह पुत्र भूरसिंह
		23. रूपसिंह पुत्र भूरसिंह
		24. शम्भूसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत निवासी भाटियों का डेर सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		25. चुन्नीलाल पुत्र लच्छाराम जाति कुम्हार निवासी भाटियों का डेर सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		26. अक्षय पुत्र सांवलाराम
		27. ईशाराराम पुत्र सांवलाराम
		28. गणपत पुत्र सांवलाराम
		29. चनणी पुत्री सांवलाराम
		30. एलसी पुत्री सांवलाराम
		31. अन्जु पुत्री मजनाराम
		32. गजरो पत्नी मजनाराम
		33. आसुराम पुत्र जैपाराम
		34. जीवादेवी पत्नी जैपाराम
		35. उकाराम पुत्र पेमाराम

पुनः

38. कमा पुत्री पेमाराम
39. कोकू पत्नी पेमाराम
40. कालीदेवी पत्नी पेमाराम
41. खेताराम पुत्र लिखमाराम
42. जोगाराम पुत्र लिखमाराम
43. जमनादेवी पुत्री लिखमाराम
44. चम्पादेवी पुत्री लिखमाराम
45. खेतु कुमारी पुत्री लिखमाराम
46. कविता पुत्री लिखमाराम
47. जांजूदेवी पत्नी लिखमाराम
48. कालूराम पुत्र धनाराम
49. खेताराम पुत्र धनाराम
50. ओमाराम पुत्र नवाराम
51. डाई पत्नी नवाराम
52. खेताराम पुत्र टमाराम
53. खेतुदेवी पत्नी टमाराम
54. खीमाराम पुत्र पप्पूराम
55. जीवाराम पुत्र देवाराम
56. तगाराम पुत्र देवाराम
57. ढलाराम पुत्र लूम्बाराम
58. तगी पत्नी लूम्बाराम
59. ताराराम पुत्र रामाराम
60. दरियादेवी पुत्री मजनाराम
61. देवी पत्नि बींजाराम
62. दीपा पुत्र रामा
63. नेनूदेवी पुत्री मजनाराम
64. नेनाराम पुत्र लूम्बाराम
65. निम्बा पुत्र गिरधारी
66. नीमा पुत्री पेमाराम
67. नोजी पत्नि देवाराम
68. पुखराज पुत्र सांवलाराम
69. पुनीदेवी पुत्री लिखमाराम
70. पपू पुत्री पेमाराम
71. पबाराम पुत्र धनाराम
72. पांचा पुत्र रावता
73. पारसमल पुत्र मजनाराम
74. फुलीदेवी पुत्री मजनाराम
75. बुगला पुत्री मजनाराम
76. बबरीदेवी पत्नि पप्पूराम
77. बलवंताराम पुत्र पप्पूराम
78. बादली पत्नि रामा
79. बाबू पुत्र गिरधारी
80. भटाराम पुत्र बींजाराम उम्र
81. भैराराम पुत्र पेमाराम
82. भोमाराम पुत्र मजनाराम
83. मथरो पुत्री पेमाराम
84. मेलाराम पुत्र लालूराम
85. मानाराम पुत्र मजनाराम
86. मीठाराम पुत्र लूम्बाराम
87. मोमताराम पुत्र टमाराम

  
 उपसहायक अधिकारी  
 सिणधरी

- 98 मोहनराम पुत्र देवाराज
- 99 मौजी पुत्री टमाराज
- 90 रामराम पुत्र रामराम
- 91 बालाराम पुत्र देवाराज
- 92 गौराराम पुत्र मन्नाराम
- 93 शंकरा पुत्र राम
- 94 शंकरा पति मोनाराम
- 95 शरण पुत्र सावलाराम
- 96 शरणकुमार पुत्र देवाराज
- 97 सकु पुत्री गूलवाराम
- 98 हडमानराम पुत्र टमाराज
- 99 हीराराम पुत्र पण्णाराम जाति  
भील निवासी भाटियो का डेर  
सणपा मानजी तहसील सिणधरी  
जिला बाडमेर
100. राज. राज्य जरीये  
तहसीलदार सिणधरी

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

**उपस्थिति-**

1. श्री कुन्दनसिंह चौहान प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

**आदेश**

**दिनांक-12.12.2023**

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खेत मौजा भाटियों का डेर पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर खसरा संख्या 310 रकबा 5.8248 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा भाटियों का डेर पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर खसरा संख्या 310 रकबा 5.8248 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

3 वकील प्रार्थी की बहस सूनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा भाटियों का डेर पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर खसरा संख्या 310 रकबा 5.8248 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के रोड़ा रोड़ा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आगे दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनावता एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा भाटियों का डेर पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर खसरा संख्या 310 रकबा 5.8248 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4 हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा भाटियों का डेर पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर खसरा संख्या 310 रकबा 5.8248 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भाटियों का डेर पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर खसरा संख्या 310 रकबा 5.8248 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी